विकलांग छात्रवृत्ति योजना

1– कक्षा 1 से 5 तक छात्रवृत्ति

कक्षा 1 से 5 तक के विकलांग छात्र/छात्राओं एवं विकलांग छात्र/ छात्राओ एवं विकलांग अभिभावको के सामान्य बच्चों को रुपये 25/– मासिक प्रति छात्र/छात्रा की दर से धनराशि प्रदान की जाती है। वर्तमान नयी पंचायती राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त योजना की धनराशि ग्राम निधि खाते में हस्तानान्तरित करने का प्राविधान है। आवेदन पत्र विद्यालय द्वारा भराये जायेगे तथा स्वीकृति की जिला विकलांग कल्याण अधिकारी द्वारा की जाती है। आवेदन पत्रों के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होता है। छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। शहरी क्षेत्रों की छात्रवृत्ति प्रधानाचार्य के खाते में भेजा जाता है तथा विद्यालय द्वारा वितरित किया जाता है।

2– कक्षा 6 से 8 तक छात्रवृत्ति

कक्षा 6 से 8 तक की विकलांग छात्र/छात्राओं विकलांग अभिभावक के सामान्य बच्चों को 40 रूपये मासिक प्रति छात्र/छात्रा की दर से छात्रवृत्ति देने का प्राविधान है। कक्षा 6 से 8 तक की भी धनराशि ग्रामनिधि के खातें में हस्तान्तरित करने का प्राविधान। आवेदन पत्र विद्यालय द्वारा भराये जायेगे तथा स्वीकृति की कार्यवाही जिला विकलांग कल्याण अधिकारी द्वारा की जाती है। आवेदन पत्रों के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होता है। छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। शहरी क्षेत्रों की छात्रवृत्ति प्रधानाचार्य के खाते में भेजा जाता है तथा विद्यालय द्वारा वितरित किया जाता है।

3– दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति

दशमोत्तर कक्षाओं के कक्षा 9 से 12 तक के विकलांग छात्र/छात्राओं को रूपया 85 मासिक की दर से एक मुश्त 850 रूपया छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। आवेदन पत्र विद्यालय द्वारा भराये जायेगे तथा स्वीकृति की कार्यवाही जिला विकलांग कल्याण अधिकारी द्वारा की जाती है। आवेदन पत्रों के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होता है।छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। शहरी क्षेत्रों की छात्रवृत्ति प्रधानाचार्य के खाते में भेजा जाता है तथा विद्यालय द्वारा वितरित किया जाता है।

4– स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति

स्नातक कक्षाओं में अध्यनरत विकलांग छात्र/छात्राओं को 125 रूपया व स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यनरत विकलांग छात्र/छात्राओं को 170 रूपये की मासिक की दर से विकलांग छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। प्रवेश के दिनांक/मास से ही छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। आवेदन पत्रों की स्वीकृति जिला विकलांग कल्याण अधिकारी द्वारा की जाती है। स्वीकृति उपरान्त प्राचार्य/प्रधानाचार्य के छात्रवृत्ति खातें में हस्तान्तरित की जाती है तथा विद्यालय द्वारा वितरित की जाती है।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com